उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2015/22(120)/XXVII(8)/ 2008
दिनांकः: देहरादूनः: 10 दिसम्बर, 2015

## अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008" (अधिनियम सं0 13 वर्ष 2008) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर अनुसूची के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा–

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | माल का विवरण | कर की दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ ऑनलाईन शॉपिंग अथवा ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या ऑर्डर पर लाया गया सभी प्रकार का माल। | माल के मूल्य का 10 प्रतिशत |

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

**सं0 977/2015/22(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2– निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4– सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5– एन0आई0सी0

6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
9150
09/12/15
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

DT:/P.Sir/Notification E-Commerce(30-10-2015)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.977/2015/22(120)/XXVII(8)/2008 dated 10 December, 2015 for general information.

# Government of Uttarakhand

**VITTA ANUBHAG-8**

**NO. 977/2015/22(120)/XXVII(8)/2008**

**Dehradun :: Dated: 10 December, 2015**

## Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of "the Uttarakhand Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008" (Act No. 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clause Act, 1904(UP Act No. 1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, the tax on entry of goods specified in column 2 of the Schedule below shall be levied and collected at the rate specified in column 3 of the Schedule, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette:-

## Schedule

| Sl. No. | Description of Goods | Rate of Tax |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | All kind of goods purchased or ordered through online shopping or E-Commerce and consigned into the local area of the State of the Uttarakhand for personal use. | 10 Percent of the value of goods |

(Amit Singh Negi)
Secretary